



महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया

Maharshi Devraha Baba Autonomous State Medical College, Deoria

mdbmc.ac.in

Contact.- 05568-297433

mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे0का0दे0/विज्ञप्ति/संविदा/फैकल्टी/2024-25

दिनांक- 04/07/24

विज्ञप्ति

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निम्नलिखित विभागों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के संविदा के आधार पर पर चयन हेतु आवेदन पत्र एतद द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर वाक-इन इंटरव्यू (Walk-In- Interview) पद्धति से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण- पत्रों के साथ अपने समस्त शैक्षणिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/ शोध पत्रों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों के दो-दो सेट, बायोडाटा व चार रंगीन फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हो सकते हैं। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जब तक रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक बुधवार को प्रधानाचार्य कार्यालय, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में प्रातः 10 बजे से 02 बजे के मध्य साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

क्र 0 स 0	विशिष्टता	आचार्य				सह-आचार्य				सहायक आचार्य					योग
		GEN	EWS	OBC	SC	GEN	EWS	OBC	SC	GEN	EWS	OBC	SC	ST	
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
2	आथलमोलॉजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	आब्स्ट्रेक्स एण्ड गाइडकोलॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
5	एनार्टमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	7
7	आटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8	कैम्प्युनिटी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
9	जनरल मेडिसिन	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	1	1	7
10	जनरल सर्जरी	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4
11	टयुबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	डमेटोलॉजी वेरेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
13	डेंटिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	पीडियाट्रिक्स	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
15	पैथालोजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
17	फिजियोलॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
18	फॉरेंसिक मेडिसिन	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
19	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
20	बयोकेमेस्ट्री	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
21	रेडियोडग्नोसिस	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
22	सइकियाट्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	योग	3	1	6	4	5	3	8	6	5	1	6	7	1	56



उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू है, संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं।

01. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य का नियत वेतन ₹0 1,35,000/- सह आचार्य का नियत वेतन ₹0 1,20,000/- सहायक आचार्य का नियत वेतन ₹0 90,000/- प्रतिमाह देय होगा। इस हेतु आवेदक को वर्तमान में एन0एम0सी0 के नवीनतम मानकों के अनुसार निर्वाचित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
 02. वेतन के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अम्बर्थी अन्य किसी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
 03. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली में निहित अनुसार होगी।
 04. ओपी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 05. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/ आपदा सेवाओं के लिए इयूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
 06. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती/स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
 07. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अम्बर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अन्तर्गत लोक सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष के कम आयु सीमा के अम्बर्थी अम्बर्थन कर सकते हैं।
 08. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
 09. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
 10. साक्षात्कार के समय अम्बर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
 11. शासनादेश सं0-367/71-1-2020-जी-195/2015 टी0सी0 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरूप उपयुक्त अम्बर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गों के अर्ह अम्बर्थियों द्वारा भरा जायेगा। संविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें समय समय पर उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार अनुमन्य होगी।
- नोट- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अम्बर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा अथवा भत्ता देय नहीं होगा।
साक्षात्कार के दिन पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है।



प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक:- मे0का0दे0/विज्ञप्ति/संविदा/फैकल्टी/2024-25/604
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी, देवरिया।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार दो स्थानीय हिन्दी एवं एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में पठनीय न्यूनतम माप में विज्ञापित करने के पश्चात बिल सत्यापित कर, अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करें।
6. वेबसाइट इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया की वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित की इस विज्ञप्ति को वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त नोटिस बोर्ड, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।